

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**Anganbari Revision No.- 37/2021****Nisar Anjum Petitioner.****Versus****The State of Bihar & Ors Opposite Parties.**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.08.2023	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं०-01/2020 में दिनांक-17.06.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।</p> <p>उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना, टेढ़ागाछ, किशनगंज, पंचायत-बैगना, वार्ड सं०-06, आँगनबाड़ी केन्द्र सं०-147, पश्चिम टोला, बेलगच्छी में सेविका पद हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में दिनांक-26.12.2019 को आयोजित आमसभा में आवेदिका का चयन करते हुए ज्ञापांक-323 दिनांक-31.12.2019 द्वारा चयन पत्र निर्गत किया गया जबकि विपक्षी सं०-04 रुखसाना बेगम को पोषक क्षेत्र के बाहर पाते हुए चयन से वंचित किया गया। विपक्षी सं०-04 उक्त वार्ड के मस्जिद टोला, बेलगच्छी की निवासी है। फलतः पश्चिम टोला बेलगच्छी पोषक क्षेत्र के अंदर की गई मैपिंग में रुखसाना बेगम का नाम अंकित नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा इनके नाम को मैपिंग पंजी में जोड़ते हुए कार्रवाई किये जाने का आदेश सही नहीं है। विभागीय निदेश के आलोक में आवेदिका द्वारा Online भरे गये आवेदन के आधार पर ही निर्णय लेना है। निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत नहीं बताते हुए इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>दूसरी तरफ विपक्षी सं०-04 रुखसाना बेगम के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त केन्द्र पर सेविका पद हेतु कुल छः (06) आवेदनों में से चार अभ्यर्थियों का अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किये जाने के फलस्वरूप मात्र आवेदिका एवं इस विपक्षी में से चयन करना था। विपक्षी उक्त वार्ड की स्थायी निवासी हैं जिन्हें मात्र मैपिंग पंजी में नाम दर्ज नहीं होने के आधार पर चयन से वंचित किया गया था, जबकि वर्ष 2013 में भी मस्जिद टोला, मिनी केन्द्र के लिए भी इनके आवेदन को इसी आधार पर अस्वीकृत किया गया था। इनके द्वारा इस आशय का आमसभा में आपत्ति भी उठायी गई थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, टेढ़ागाछ के</p>	

लगातार
29.08.2023

समक्ष भी इनके द्वारा दायर आपत्ति पर नियमानुकूल कार्रवाई नहीं की गई। निम्न न्यायालय में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, टेढ़ागाछ ने पत्रांक-15 दिनांक-11.01.2020 को प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया कि उक्त वार्ड क्रमशः

में कुल 124 परिवार एवं कुल जनसंख्या 623 है। उक्त केन्द्र के पोषक क्षेत्र अंतर्गत मैपिंग पंजी में इनका नाम दर्ज नहीं किया गया तथा उक्त पंजी पर वर्तमान महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर न होकर पूर्व पर्यवेक्षिका एवं वर्तमान वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर है जिससे उक्त पंजी वर्ष 2016-17 का तैयार किया गया प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वार्ड अंतर्गत स्थापित मिनी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के छुटे हुए सभी परिवार अतिरिक्त केन्द्र के पोषक क्षेत्र में स्वतः दर्ज मानी जानी चाहिए। पूर्व में भी विपक्षी सं0-04 का नाम जानबूझकर मैपिंग पंजी से हटाते हुए इनकी जगह अफरोज प्रवीण का चयन किया गया था। यह कृत्य इन्हें चयन से वंचित करने के लिए जानबूझकर किया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत उक्त केन्द्र हेतु मैपिंग पंजी में विपक्षी सं0-04 का नाम जोड़ते हुए चयन संबंधी आदेश पारित किया गया है जो सही है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि विपक्षी सं0-04 रूखसाना बेगम का नाम प्रश्नगत केन्द्र के मैपिंग पंजी में दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें सेविका पद पर चयनित नहीं किया गया। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन संबंधी निर्गत मार्गदर्शिकाओं में मैपिंग के संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर मैपिंग पंजी का सृजन किया जायेगा। इससे पूर्व भी वर्ष-2013 में मस्जिद टोला मिनी केन्द्र के लिए भी इनका नाम मैपिंग पंजी में दर्ज नहीं होने के आधार पर इन्हें चयन से वंचित रखा गया था। निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी सं0-04 का नाम मैपिंग पंजी में किस आधार पर जोड़ते हुए उन्हें चयनित करने का आदेश पारित किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है और न ही उनके द्वारा इस न्यायालय में भी इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। विपक्षी सं0-04 का उक्त पोषक क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है एवं उक्त केन्द्र पर आमसभा द्वारा अपीलार्थी के चयन को संपुष्ट करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजे।

		लेखापित एवं शुद्धित । आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ ।	आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ ।	
--	--	--	---	--

Web Copy. Not Official.